

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, हनुमानगढ़  
पीठासीन अधिकारी:- हरभान मीणा आर.ए.एस.

अपील स. 136/2010/75 एलआर एक्ट

स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार (राजस्व) टिब्बी जिला हनुमानगढ़।

—अपीलाण्ट

**बनाम**

1. कृष्णाबाई पत्नि बन्तासिंह जाति रायसिख निवासी सुरेवाला तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़।

—रेस्पोडेण्ट

अपील विरुद्ध आदेश उपखण्डाधिकारी टिब्बी दिनांक 27.07.2010

प्रकरण सं० 207/2009 अनवानी कृष्णाबाई बनाम सरकार

उपस्थित :-

1. श्री खुशकरण सिंह खोसा, राजकीय अधिवक्ता अपीलाण्ट
2. श्री जरनैलसिंह अधिवक्ता रेस्पोडेण्ट

निर्णय

दिनांक : 10.08.2018

1. प्रकरण के तथ्य सक्षेप में इस प्रकार है कि रेस्पोडेण्ट ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष चक 2 एसआरडब्ल्यू के प.न. 223/268 के कि.न. 14 की कुल 0.126 है० भूमि को आवंटी गोमासिंह जाति रायसिख से जरिए ईकरारनामा क्रय करना दर्शित करते हुए नियमन किए जाने हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया जिसमे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा रेस्पो० के उक्त आवेदन के आधार पर रिपोर्ट तहसील प्राप्त होने के उपरांत अपीलाधीन आदेश के जरिये नियमन आदेश जारी किया गया, जिससे व्यथित होकर अपीलाण्ट ने यह अपील पेश की है।
2. उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्तागण की बहस सुनी गई।
3. विद्वान राजकीय अभिभाषक ने अपनी अपील में दर्ज तथ्यो को दोहराते हुए निवेदन किया कि आदेश अधीनस्थ न्यायालय का विधिक प्रावधानो के विपरीत है। रेस्पो० ने

अधीनस्थ न्यायालय में प्रश्नगत भूमि को मूल आवंटी से खरीद करना बताया है परन्तु प्रश्नगत भूमि से संबंधित आवंटन आदेश ही अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया गया जिससे मूल आवंटी द्वारा भूमि का बैचान किया जाना सिद्ध नहीं था इसलिए किसी भी सूरत में नियमन नहीं किया जा सकता था। प्रश्नगत भूमि का नियमन करने से पूर्व मूल आवंटी द्वारा आवंटन की अगर कोई राशि बकाया थी तो खजाना राज में जमा करवाई गई या नहीं इस तथ्य की कोई भी रिपोर्ट पत्रावली पर प्रस्तुत नहीं हुई और ना ही मूल आवंटन पत्रावली तलब की गई और ना ही कब्जा बाबत स्पष्ट साक्ष्य प्रस्तुत हुए एवं विक्रय विलेख भी सिद्ध नहीं था जिससे भूमि का हस्तान्तरण सिद्ध नहीं था। इन तथ्यों पर किसी प्रकार का कोई विचार ना कर अपीलाधीन निर्णय से रैस्पों. के हक में गलत रूप से नियमन किया गया है। राजकीय अभिभाषक द्वारा अन्त में अपनी अपील को विलम्ब को माफ कर मियाद में शुमार करने का निवेदन किया व कथन किया कि इस हेतु धारा 5 कानून मियाद का प्रार्थना पत्र अलग से विधि अनुसार प्रस्तुत किया हुआ है इसलिये अपील को विलम्ब को क्षमा दान कर अपील मियाद शुमार की जाकर, अपील स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय का आदेश निरस्त किया जावे।

4. विद्वान अभिभाषक रैस्पोंडेण्ट द्वारा अपील के तथ्यों का विरोध प्रस्तुत करते हुए अपील को मियाद बाहर होना बताकर निरस्त करने का निवेदन किया तथा बहस में यह कथन किया कि अपील मियाद बाहर है। इस विलम्ब को क्षमा दान करने हेतु जो कारण अपीलार्थी द्वारा बताये गये हैं उन कारणों के आधार पर विलम्ब को क्षमा नहीं किया जा सकता इसलिये अपील को मियाद के बिन्दु पर निरस्त करने का निवेदन किया। विद्वान अभिभाषक रैस्पों0 द्वारा बहस में निवेदन किया कि मियाद के बिन्दु के

अतिरिक्त अपील के अन्तर्गत जो भी बिन्दु उठाये गये है वे कतई आधारहीन है रिकार्ड के विपरीत है समस्त रिकार्ड अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है, नियमन व खातेदारी अधिकार प्रदान किये जाने से पूर्व पूर्ण प्रक्रिया की पालना कानून के मुताबिक की गई है। जमाबन्दी में उक्त भूमि गोमासिंह पुत्र बूडसिंह अलाटी राष्ट्रपति भारत सरकार के रूप में रिकार्ड में दर्ज है। आवंटी ने यह भूमि रेस्पोजेण्ट को जरिये ईकरारनामा दिनांक 18.05.81 को बेचान कर दी थी। प्रश्नगत भूमि का नियमन व खातेदारी प्रदान करने का निवेदन प्रत्यार्थी द्वारा किया गया। भूमि नियमन कर खातेदारी दिये जाने से पूर्व नियमन की समस्त प्रक्रिया की पालना करते हुए रिपोर्ट लेते हुए अपीलाधीन निर्णय पारित किया गया है। अपीलार्थी का अन्य ऐतराज की इसमें रकम पूर्ण जमा थी या नहीं इसकी रिपोर्ट नहीं ली गई यह ऐतराज भी विधि सम्मत नहीं है इस संबंध में रिपोर्ट ली गई तथा रकम जमा होने का तथ्य पत्रावली पर आया तत्पश्चात नियमन शुल्क भी जमा करवाया गया इसलिये सरकारी रकम बकाया होने का तथ्य भी अपीलार्थी का सही नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन निर्णय विधि सम्मत है। अतः अपील अपीलाण्ट खारिज की जावे।

5. बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया।
6. अपील का निस्तारण गुणावगुण पर श्रेयष्कर होने के तथ्य को मद्देनजर रखते हुए धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना-पत्र स्वीकार किया जाता है अपील अपीलाण्ट अंदर मियाद शुमार की जाती है।
7. अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अन्तर्गत वसूली योग्य बकाया राशि के संबंध में तहसीलदार से रिपोर्ट आदि ली गई पत्रावली में अकिंत तथ्यों के अनुसार प्रश्नगत भूमि भारत सरकार की निष्क्रान्त भूमि थी जो गोमासिंह पुत्र बूडसिंह जाति राससिख

अलॉटी राष्ट्रपति भारत सरकार है। अधीनस्थ न्यायालय में रेस्पोंडेण्ट द्वारा ईकरारनामा दिनांक 18.05.1981 के आधार पर नियमन का प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत किया गया था। तहसीलदार ने प्रश्नगत भूमि पर रेस्पोंड का कब्जा काश्त होना बताया है तथा सीलिंग सीमा से प्रभावित नहीं होना बताया है। अधीनस्थ न्यायालय ने हस्तान्तरण को नियमन हेतु आपत्ति का प्रकाशन स्थानीय समाचार पत्र में किया है। प्रकरण में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 42 बी का उल्लंघन होना नहीं पाया गया है। पटवारी भू-अभिलेख निरीक्षण एवमं तहसीलदार की रिपोर्ट माह मई 2010 से विवादित भूमि पर प्रार्थी का कब्जा काश्त होना साबित है।

8. राज्य सरकार द्वारा दिनांक 06.10.09 को निष्क्रांत (कस्टोडियन) कृषि भूमि के निस्तारण एवं पूर्व आवंटियों को खातेदारी अधिकार प्रदान करने हेतु नियमों के संबंध में परिपत्र जारी किया गया था, उक्त परिपत्र के अनुसार ऐसे प्रकरण जिनमें मूल आवंटियों ने खातेदारी अधिकार प्राप्त होने से पूर्व ही भूमि का बेचान औपचारिक/अनौपचारिक तरीके से किसी अन्य को कर दिया है और मौका पर मूल आवंटी के बजाय अन्य व्यक्ति काबिज है, तो ऐसे हस्तान्तरण को उपखण्ड अधिकारी द्वारा आवंटन सलाहकार समिति से सलाह करके नियमन शुल्क एवं शास्ति नियमानुसार जमा करवाने के पश्चात् हस्तान्तरण का नियमन किये जाने का प्रावधान किया गया है। हस्तगत प्रकरण में आवंटी द्वारा ईकरारनामा दिनांक 18.05.1981 के जरिये भूमि का बेचान बन्तासिंह जटसिख के पक्ष में किया गया है। जो हस्तान्तरण का अनौपचारिक दस्तावेज है। रेस्पोंड द्वारा अपने पति की खरीदशुदा भूमि के संबंध में नियमन का अनुतोष चाहा गया। प्रकरण में तहसीलदार द्वारा नियमन की सिफारिस की गई है तथा तहसीलदार आवंटन सलाहकार समिति का सदस्य सचिव

है। नियमन की राशि नियमानुसार जमा करवाई गई है। ऐसी स्थिति राज्य सरकार के परिपत्र के प्रावधानों की पालना करते हुए खातेदारी प्रदान की गई है। अभिभाषक अपीलांत द्वारा कोई विपरीत तथ्य अपील के समर्थन में प्रस्तुत नहीं किया है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजों से अपीलांत की अभिकथनों की पुष्टि नहीं होती है। आक्षेपित निर्णय को अपीलांत विधि विरुद्ध साबित करने में असफल रहा है। अपीलांत द्वारा यह अपील सारहीन होने के कारण स्वीकार की जानी योग्य नहीं है। यदि उक्त भूमि के बाबत कोई राजकीय राशि बकाया निकलती है, तो रेस्पोंडेंट राजकोष जमा करवाने के लिए पाबंद रहेंगे।

9. उक्त विवेचन के अनुसार यह अपील सारहीन होने के कारण अस्वीकार की जाकर खारिज की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन आदेश दिनांक 27.07.2010 यथावत रखा जाता है। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख निर्णय की प्रमाणित प्रति सहित भिजवाया जावे। पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर दाखिल दफ़्तर की जावें।

निर्णय आज दिनांक 10.08.2018 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(हरभान मीणा आर.ए.एस.)  
राजस्व अपील प्राधिकारी  
हनुमानगढ़